भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4631

20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

गाजियाबाद जिले में रक्षा भूमि

4631. श्री अतुल गर्ग:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गाजियाबाद जिले में निर्दिष्ट छावनी क्षेत्रों के बाहर फैली हुई रक्षा भूमि का ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रक्षा भूमि अभिलेखों के नामांतरण की स्थिति क्या है और उस पर अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) रक्षा क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों के बंद होने के कारण उत्पन्न विवाद, जिससे नागरिक यातायात प्रभावित हो रहा है, को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास शहर में रक्षा भूमि के हस्तांतरण के अभाव में सड़कों और नालियों के रुके हुए कार्यों की सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं का ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में छावनियों से सिविल क्षेत्रों को हटाने के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख): गाजियाबाद जिले में रक्षा भूमि और उसके नामांतरण की स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	कुल रक्षा भूमि (एकड़ में)	रक्षा भूमि जिसका अभी तक नामांतरण नहीं हुआ है (एकड़ में)
1	वायु सेना स्टेशन, हिंडन, गाजियाबाद	2,534.07	71.72
2	भौंजा कैम्पिंग ग्राउंड	30.97	24.80
3	राइफल रेंज गाजियाबाद	161.51	60.87
4	आयुध निर्माणी डिपो मुरादनगर	90.53	शून्य
कुल		**2,817.08**	**157.39**

रक्षा भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) संबंधित कार्यालयों द्वारा रक्षा भूमि का नियमित निरीक्षण किया जाता है तथा उन्हें नियमानुसार वार्षिक प्रमाण-पत्र जमा करवाने होते हैं।

(ii) जब भी अतिक्रमण का पता चलता है, तो पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कानून के अनुसार विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाकर उन्हें हटा दिया जाता है।

(iii) रक्षा भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज कर दिया गया है।

(iv) एक भूमि प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया है जिसमें अतिक्रमण की जीआईएस लेयर्स को विकसित किया गया है।

(v) रक्षा भूमि लेखापरीक्षा को वर्ष 2011-12 से एक सतत् प्रक्रिया के रूप में संस्थापित किया गया है।

(vi) रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के "खतरे" के आकलन के लिए एक कार्यपद्धति बनाई गई है। खतरे की संभावना के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में फील्ड कार्यालयों को सूचित किया गया है।

(vii) आम जनता द्वारा, रक्षा भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए फरवरी, 2020 में डीजीडीई वेबसाइट पर एक अतिक्रमण संबंधी मॉड्यूल चालू किया गया है।

(viii) सरकार ने कुछ अतिसंवेदनशील रक्षा भूमि पॉकेट्स के चारों ओर चारदिवारी/ बाड़बंदी/पिलर निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की हैं।

(ग) छावनी क्षेत्रों में सड़कों को बंद करने की प्रक्रिया छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 258 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। यह अधिनियम छावनी बोर्ड को सार्वजनिक उपयोग के लिए सड़कों को खोलने और उन्हें बंद करने की व्यवस्था करने का अधिकार देता है। किसी सड़क को स्थायी रूप से बंद करने के लिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) या प्रधान निदेशक का पूर्व-अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है और यह आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने के बाद केवल सुरक्षा कारणों से ही किया जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आवश्यक सुरक्षा उपायों और आसपास की संपत्तियों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए किसी सड़क या उसके किसी हिस्से को मरम्मत या ड्रेनेज, जलापूर्ति, बिजली व्यवस्था या इस अधिनियम के तहत अनुमत अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए अस्थायी रूप से बंद कर सकते हैं।

इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय ने सड़कों को बंद करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में 04.09.2018 को एक विस्तृत क्रियाविधि जारी की है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि एलएमए द्वारा उक्त प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना छावनियों में कोई भी सार्वजनिक सड़क बंद नहीं की जाएगी।

(घ) गाजियाबाद में रक्षा भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता के कारण सड़कों और नालियों जैसी किसी भी सार्वजनिक उपयोग की परियोजना का कार्य नहीं रूका है।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद छावनियों के सिविल क्षेत्रों को हटाने और उनका समीपवर्ती राज्य नगरपालिकाओं में विलय करने के लिए व्यापक तौर-तरीकों को राज्य सरकार के साथ उनकी टिप्पणियों/सहमति के लिए साझा किया गया है। चूंकि छावनियों के सिविल क्षेत्रों को हटाना मिलिट्री स्टेशनों की सीमाओं के सीमांकन से जुड़ा है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकर होने के कारण, इस संबंध में और जानकारी नहीं दी जा सकती।
